Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

उत्तराखण्ड शासन,
शहरी विकास विभाग,
संख्या :   /iv/ श0वि0(   )/
दिनांक :   अप्रैल, 2010

अधिसूचना

चूकिं राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान है, जिसके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव से नियम बनाना आवश्यक हैं।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के क्रमशः धारा 540 तथा धारा–296 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में, राज्यपाल महोदय राज्य की समस्त शहरी स्थानीय निकायों में सामुदायिक सहभागिता कानून नियमावलीं लागू किए जाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा–6 (क) तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा–3 (ख) के अन्तर्गत निम्न नियमों को स्वीकृति प्रदान करती हैं–

उत्तराखण्ड नगर निकाय सामुदायिक सहभागिता कानून नियमावली– 2010

(I)

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं प्रवर्तन–

1– यह नियमावलीं उत्तराखण्ड नगर निकाय सामुदायिक सहभागिता कानून नियमावलीं–2010 कहीं जाएगी।

2– इसका विस्तार उत्तराखण्ड राज्य में स्थित छावनी क्षेत्रों को छोड़ कर संपूर्ण राज्य में होगा।

3– यह उस तिथि से प्रवृत होगी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(II)

परिभाषाए– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

1– एक्ट से तात्पर्य उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 से हैं।

2– ''नगर निकाय'' से अभिप्राय उस स्वायत्तशासी संस्था से है, जो भारत के संविधान के अन्तर्गत धारा–12 के अधीन गठित व अनुच्छेद–243 थ के साथ पठित है, और इसके अंतर्गत धारा–13 में निर्दिष्ट नगर निगम, नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत शामिल हैं

3– ;''पार्षद/सभासद'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस नगर पालिका के किसी वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है;

4– ''सार्वजनिक स्थान'' से अभिप्रेत है ऐसा स्थान जो निजी संपत्ति न हो और जो जन सामान्य के उपयोग या प्रयोग के लिए खुला हो, भले ही ऐसा स्थान नगर पालिकाओं में निहित हो अथवा नहीं हो;

5– नियम'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम;

6– ''कक्ष समिति'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा–6 (क) तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा–3 (ख) के निर्दिष्ट संगठित समिति से है;

7– मौहल्ले से तात्पर्य उस क्षेत्र से हैं जो वार्ड के अन्तर्गत समान पोलिंग बूथ से जुडे अनधिक 250 परिवार संख्या को समाहित किए हैं।

8– मौहल्ला सभा'' से तात्पर्य उस समूह से हैं, जों वार्ड के अन्तर्गत समान पोलिंग बूथ से जुडे समस्त पंजीकृत मतदाताओं को समाहित किए हैं तथा जिसे नगर निकाय द्वारा मान्यता प्रदान की गई हैं।

8– मौहल्ला समिति'' से तात्पर्य उस संगठित समिति से हैं जिसके पदाधिकारी तथा सदस्यं मौहल्ला सभा द्वारा आम सभा बैठक के दौरान निर्वाचित/सिविल सोसाइटी से नामित किए गए हों।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(III)

कक्ष समिति

कक्ष समिति का गठन–

1. नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड में एक कक्ष समिति होगी।

2. कक्ष समिति का गठन वार्ड के सभासद, मौहल्ला सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा नगर निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्यिो को मिलाकर होगा।

कक्ष समिति की संरचना–

1– वार्ड से निर्वाचित पार्षद / सभासद कक्ष समिति का अध्यक्ष होगा।

2– प्रत्येक कक्ष समिति में वार्ड से सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले अनाधिक 10 ऐसे व्यक्ति हो सकेंगे, जो नगर निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। परन्तु वार्ड की जनसंख्या दस हजार से अधिक ना हो सकने की स्थिति में अधिकतम चार सदस्य ही नामित किए जा सकते हैं तथा प्रति चार हजार की अतिरिक्त जनसंख्या पर 01 अतिरिक्त प्रतिनिधि नामित किया जा सकता हैं।

स्पष्टीकरण – ''सिविल सोसाइटी'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित, गठित या रजिस्ट्रीकृत कोई गैर सरकारी संगठन, संगम या व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत कोई समुदाय आधारित संगठन, वृत्तिक संस्था और सिविक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक या सांस्कृतिक निकाय, जैसा नगर निकाय विनिश्चत करे, भी शामिल होगा।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

3. प्रत्येक कक्ष समिति में उस वार्ड में गठित मौहल्ला समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहल्ला प्रतिनिधि सदस्य होंगे, जो कक्ष में स्थित मोहल्ला समितियों के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किए जायेंगें। कक्ष समिति में मौहल्ला प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व 2/3 होना अनिवार्य हैं।

4. कक्ष समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष होंगे, जो समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएगें।

अध्यक्ष का कार्यकाल–

1– पार्षद/सभासद तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद/सभासद बना रहे।

2– कक्ष समिति का अध्यक्ष, किसी भी समय, महापौर/अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा, और त्यागपत्र महापौर/अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

कक्ष समिति की बैठके –

1– कक्ष समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर वर्ष में न्यूनतम 04 बार पूर्व निर्धारित एवं प्रसारित समय एवं स्थान पर होगी।

2– कक्ष समिति के समस्त अभिलेख अध्यक्ष के पास संरक्षित होंगे। अध्यक्ष, कक्ष समिति द्वारा नियमित बैठक के आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगीं।

कक्ष समिति का कार्यकाल –

कक्ष समिति का कार्यकाल नगर निकाय के कार्यकाल के समतुल्य होगा।

कक्ष समिति की शक्तियॉ–

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

1– कक्ष समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नगर निकाय वार्ड के क्षेत्रीय निवासियों की अपेक्षाओं के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी हों।

2– क्षेत्र के विकास हेतु अधिकतम जन सहभागिता को सुनिश्चित करना।

3– क्षेत्रीय कार्यो कों विनियोजित फण्ड तथा स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी द्वारा पूर्ण किए जाने हेतु एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करना।

4– क्षेत्र के बजट में समाहित कार्यो की प्रगति की समीक्षा करना तथा इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु अपने सुझाव देना।

5– नगर निकाय की सेवाओं तथा सुविधाओं के रखरखाव में मौजूद कमियों एवं चूकों को चिन्हित कर संबधित निकाय को कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित करना।

कक्ष समिति के कृत्य

कक्ष समिति, कार्यकारिणी समिति/बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगी–

1. वार्ड अन्तर्गत ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन और नालियों का अनुरक्षण हेतु सहयोग।
2. वार्ड में स्वच्छता सम्बन्धी कार्यो का पर्यवेक्षण।
3. जलापूर्ति, पाईपों की व्यवस्था, परिसरों से जल निकास और मलवहन संयोजन, वर्षा के कारण या अन्यथा पथों या सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित जल हटाए जाने आदि कार्यो का निर्वहन करना।
4. वार्ड हेतु विकास योजना के निर्माण एवं प्रोत्साहन के निमित्त सहयोग प्रदान करना।
5. वार्ड के विभिन्न जनसमूहों के मध्य एकता एवं आपसी सौहार्द को प्रोत्साहन देना।
6. समाज कल्याण कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक श्रमदान एवं वस्तु तथा धन के रूप मे दान आदि को प्रोत्साहित करना।
7. वार्ड से संबधित विकास योजनाओं विशेषकर नगरीय गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सहयोग प्रदान करना।
8. विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं यथा–पेंशन, सब्सिडी और लाभार्थी केन्द्रित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु लाभार्थियों के चिन्हीकरण के निहितार्थ सहयोग प्रदान करना।
9. नगर निकाय के नियंत्रण में कार्यरत स्कूलों, मातृत्व केन्द्रों, डिस्पेन्सरी और स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यो की मानीटरिंग करना।
10. कला एवं सस्कृति तथा खेलकूद आदि की गतिविधियो को प्रोत्साहन देना।
11. नगर निकाय की विकास गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन हेतु समुदाय की स्वैच्छिक प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

12. नगर निकाय को देय कर, शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभारों आदि के संग्रहण में मदद करना।
13. पार्क, उद्यान, खेल–कूद के मैदानों तथा बाजारों आदि का अनुरक्षण तथा सड़कों की मामूली मरम्मत आदि के कार्यो हेतु सहयोग प्रदान करना।
14. वार्ड मे पथ प्रकाश के रखरखाव को सुनिश्चित करना।
15. नगर निगम/नगर पालिका अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियां जारी करने से सम्बन्धित नगर निकाय के कृत्यों का और ऐसे अन्य कृत्यों का, जिन्हें नगर निकाय समय–समय पर विनियमों द्वारा अवधारित करें, के सम्बन्ध में जनसुनवाई के दौरान उत्पन्न एवं सामान्य रूप से जानकारी में आये विषयों पर अपने सुझाव/संस्तुतियां देना ।
16. अन्य कार्य, जो नगर निक़ाय द्वारा विहित किए जाएं।

कक्ष समिति के उत्तरदायित्व–

1– यथाविहित नियमों के अधीन प्रति वर्ष कक्ष विकास योजना का निरूपण;
2– निर्मित कक्ष विकास योजना के अनुरूप नियत समयावधि में कक्ष बजट तैयार करना।
3– समस्त क्षेत्रों मे कार्यान्वयन हेतु क्षेत्र स्तरीय विकल्पों को प्रोत्साहित करना।
4– कक्ष अवसंरचना इन्डेक्स का मानचित्रण।
5– नगर निकाय की सम्पत्तियों की सूची (रिकार्ड) तैयार करना;
6– वार्षिक योजना के निर्धारण के सम्बन्ध में सुझाव देना।

नगर निकाय अपने बजट का एक भाग उपरोक्त निर्दिष्ट कार्यो के निर्वहन हेतु कक्ष समिति या कक्ष सभा को यथास्थिति, आबंटित कर सकता है।

कक्ष समिति के अधिकार–

प्रत्येक कक्ष समिति के, यथास्थिति, निम्नलिखित अधिकार होंगे–

(i) कक्ष से सम्बन्धित किसी विषय पर मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से सूचना मांगना,
(ii) नगर निकाय के मास्टर प्लान और जोनल विकास योजना के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना,
(iii) नगर निकाय का पूरा बजट प्राप्त करना,
(iv) कक्ष की सीमान्तर्गत भूमि उपयोग और जोनिंग विनियमन के विषय में नगर निकाय द्वारा परामर्श किया जाना, और
(v) कक्ष से सम्बन्धित राजस्व मदों का पूर्ण विवरण प्राप्त करना।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(vi) कक्ष समिति के कारोबार के संव्यवहार की रीति वही होगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।

(vii) विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन रहते हुए कक्ष समिति लोक हित के किसी प्रमुख विषय पर सार्वजनिक सुनवाई कर सकेगी।

(IV)
मौहल्ला सभा व मौहल्ला समितियों का गठन

1. मोहल्ला सभा के गठन हेतु प्रत्येक नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड को एक से अधिक परन्तु दस से अनधिक मोहल्लों में विभक्त किया जाएगा। प्रत्येक ऐसे मोहल्ले में एक या अधिक निर्वाचन बूथ शामिल हो सकते हैं।
2. प्रत्येक मोहल्ला में सम्पूर्ण मतदाताओं को मिलाकर एक मोहल्ला सभा का गठन किया जाएगा। प्रत्येक ऐसे मोहल्ले में अनधिक 250 परिवार समाहित होंगें।
3. मौहल्ला के न्यूनतम् 50 परिवार संख्या द्वारा नगर निकाय को हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निकाय द्वारा प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण करने के उपरांत मौहल्ला सभा के गठन हुए समय, स्थान तथा तिथि निर्धारित की जाएगी।

   अथवा

   उक्तानुरूप प्रस्ताव प्राप्त ना होने की दशा में नगर निकाय द्वारा उपरोक्त मानकों पर वार्ड के अन्तर्गत मौहल्ला चिन्हित किए जाएगें, तथा प्रत्येक मौहल्ला में मौहल्ला सभा एवं समिति के गठन हेतु समय, स्थान तथा तिथि निर्धारित की जाएगी।

4. उक्त निर्धारित अवधि के विषय में संबधित मौहल्ले की जनता को न्यूनतम् एक सप्ताह पूर्व अवगत कराया जाएगा। निर्धारित अवधि में नगर निकाय प्रतिनिधि की उपस्थिति में मौहल्ला सभा की आम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मोहल्ला सभा के सदस्यों द्वारा एक मौहल्ला समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही मौहल्ला सभा द्वारा एक

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

प्रतिनिधि का भी पृथक से निर्वाचन किया जाएगा, जो कक्ष समिति में मौहल्ले का प्रतिनिधत्व करेगा।

5. मौहल्ला सभा प्रतिनिधि द्वारा मौहल्ला से जुडे समस्त विषयो, जिन्हें समिति की बैठकों में पारित किया गया हों सहित तमाम उन जनहित के मुद्‌दों को कक्ष समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगा, जो मौहल्ले से संबधित हों। साथ ही कक्ष स्तर पर मौहल्ले से संबधित लिए गए समस्त निर्णयों एवं कार्यवाहियों की जानकारी मौहल्ला समिति तथा सभा को उपलब्ध कराएगा। कार्यकुशलता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मौहल्ला समिति द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उक्त निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में मौहल्ला सभा की आम बैठक बुलाकर नये प्रतिनिधि का चुनाव पूर्वोक्त विधि से किया जाएगा।

6. गठन उपरांत मौहल्ला सभा तथा समिति का विवरण नगर निकाय को उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर कार्यवाही करते हुए नगर निकाय द्वारा मौहल्ला सभा तथा मौहल्ला समिति को मान्यता प्रदान की जाएगी।

मौहल्ला समिति की संरचना–

1– मोहल्ला समिति में एक अध्यक्ष और दस से अनाधिक सदस्य शामिल होंगे, जो मौहल्ला सभा की आम बैठक में निर्वाचन द्वारा चयनित किए जाएगें। अध्यक्ष के अतिरिक्त मौहल्ला समिति में न्यूनतम 03 पदाधिकारी– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष होंगे। वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि/पार्षद समिति का सदस्य एवं संरक्षक होगा। मोहल्ला सभा सिविल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले दो से अनाधिक व्यक्तियों को भी नामित कर सकेंगी।

2– सामान्यतः मौहल्ला समिति के पदाधिकारी अथवा सदस्य एक परिवार से संबधित नहीं होगें।

3– नगर निकाय मोहल्ला सभाओं के प्रादेशिक क्षेत्र अवधारित करने के लिए सक्षम होगी; परन्तु किसी मोहल्ला सभा में सम्मिलित किए गए क्षेत्र समीपस्थ होंगे।

4– प्रत्येक नगर निकाय क्षेत्र के, हर वार्ड में, इस शासनादेश की तिथि से तीन माह के भीतर मोहल्ला सभा व मोहल्ला समिति का गठन किया जाएगा।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

समिति तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल–

सामान्यतः मौहल्ला समिति का कार्यकाल 05 वर्ष होगा। जिसके उपरांत मौहल्ला सभा द्वारा पुनः आम बैठक कर नई मौहल्ला समिति का गठन किया जाएगा। मौहल्ला समिति, उसके पदाधिकारियों अथवा सदस्यों की कार्यकुशलता से संतुष्ट ना होने की दशा में मौहल्ला सभा के 3/4 सदस्यों द्वारा लिखित में अविश्वास प्रस्ताव नगर निकाय को प्रेषित किया जाएगा। तद्क्रम में नगर निकाय द्वारा आम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मौहल्ला सभा के कुल सदस्य संख्या के 3/4 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने पर मौहल्ला समिति को भंग कर नई मौहल्ला समिति का गठन किया जा सकता हैं।

मौहल्ला सभा तथा समिति की बैठकें–

1– मौहल्ला समिति वर्ष में न्यूनतम् 04 त्रैमासिक बैठके आयोजित करेगी।
2– मौहल्ला सभा वर्ष में न्यूनतम् एक बैठक करेगी, जिसमें मौहल्ला समिति द्वारा वर्ष में किए गए कार्यो का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा।
3– मौहल्ला सभा तथा समिति की बैठके मौहल्ला के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक स्थल पर पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी।
4– मौहल्ला सभा एवं समिति के समस्त अभिलेख अध्यक्ष मौहल्ला समिति के पास संरक्षित होंगे। अध्यक्ष, मौहल्ला समिति द्वारा मौहल्ला समिति एवं सभा के नियमित बैठक के आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगीं।

मोहल्ला समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व :–

मौहल्ला समिति/सभा, कार्यकारिणी समिति/कक्ष समिति/सभा के साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, संघटक मोहल्ले की स्थानीय सीमाओं के भीतर मुख्यतः निम्न कार्यो का सम्पादन करेगी–

(i) मोहल्ला समिति नगर निकाय की स्थानीय स्तर पर ऑख और कान के रूप में कार्य करेगी,

(ii) मोहल्ला और इसके निवासियों के विकास हितों पर नगर निकाय को परामर्श देगी,

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(iii) योजनाओं की प्राथमिकता एवं विकास कार्यों के संबंध में निर्धारण एवं प्रस्तावों का निर्माण कर कक्ष समिति को अग्रसारित करना।

(iv) केन्द/राज्य सरकार आदि के मानकों पर लाभार्थी–अभिमुखित योजनाओ हेतु सर्वाधिक उपयुक्त लाभार्थी का चिन्हीकरण कर प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थी सूचीं का चयन एवं वार्ड अथवा नगर निकाय स्तर पर विकास योजना से जुडाव हेतु अग्रसारण।

(v) सरकार की कल्याणकारी योजनाओं यथा– पेंशन तथा अनुदान से लाभान्वित व्यक्तियों की पात्रता का सत्यापन करना।

(vi) मौहल्ला की सीमान्तर्गत पथ प्रकाश, सामुदायिक स्टेण्ड पोस्ट एवं कुऑ, जनशौचालय एव अन्य जनसुविधाओं हेतु उपयुक्त स्थान के संबंध में परामर्श देना।

(vii) जलापूर्ति एवं पथ प्रकाश व्यवस्थाओं की कमीं का चिन्हीकरण एवं इसके निराकरण हेतु सुझाव।

(viii) मौहल्ले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की गतिविधियों, विशेषकर रोग निवारण एवं परिवार कल्याण, मे मद्द। साथ ही महामारी तथा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में रिपोर्ट हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रंबंध।

(ix) विकास कार्यो हेतु स्वैच्छिक श्रमदान एवं अंशदान की उपलब्धता एवं उत्प्रेरण तथा इन विकास कार्यो का स्वैच्छिक टीम के माध्यम से अनुश्रवण।

(x) कर निर्धारण की कार्यवाही एवं इस हेतु सहयोग तथा मौहल्ला सभा के सदस्यों को निकाय कर तथा यूजर चार्जेज भुगतान किए जाने की प्रतिबद्धता का स्मरण कराना।

(xi) मौहल्ले में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं के रख–रखाव एवं मरम्मत का पर्यवेक्षण करेगी,

(xii) समिति अंशदान द्वारा डोर–टू डोर कूडा एकत्रीकरण का कार्य सुनिश्चित करेगी। साथ ही सफाई और ठोस कूड़ा प्रबन्धन आदि से सम्बन्धित कार्यो का भी पर्यवेक्षण करेगी,

(xiii) जनजागरूकता बढ़ाएगी और पर्यावरणीय प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक उपाय करेगी,

(xiv) राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा नगरीय गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु विकास, गरीबों को पेन्शन, टीकाकरण आदि कार्यक्रमों के सफल संचालन में मौहल्ला स्तर पर मदद करेगी,

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(xv) वृक्षारोपण, पार्क, उद्यान आदि के रख–रखाव हेतु जन सहभागिता बढ़ायेगी,

(xvi) नगर निकाय की मौहल्लें में अवस्थित सम्पत्तियों यथा– पार्क, खुला स्थान आदि की अतिक्रमण आदि से रक्षा करेगी तथा कक्ष समिति को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु सूचित करेगी।

(xvii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या नगर निकाय के विकास कार्यक्रमों के संचालन में मदद करेगी,

(xviii) बाल श्रम, मादक दृव्यों के सेवन, जुआ आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रयास करेगी,

(xix) निवासियों की सुरक्षा एवं जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी,

(xx) नगर निकाय तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यो का निर्वहन करेगी।

(V)

प्रशासनिक व्यवस्था

महापौर/अध्यक्ष द्वारा मौहल्ला सभा/समिति तथा कक्ष समिति की बैठकों हेतु प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, कार्यवाही लिखने, प्राप्त शिकायतों/सुझावों पर follow up करने इत्यादि हेतु एक अधिकारी, एक लिपिक एवं एक अन्य कर्मचारी नामित किये जायेगें, जो बैठक के दौरान उपस्थित भी रहेंगे। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही नियमित रूप से जारी होगीं। प्राप्त शिकायतों/सुझावों को सूचीबद्ध किया जायेगा और सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रार्थी को, स्थानीय निकाय को सूचित करते हुए, कृत/प्रस्तावित कार्यवाही/वस्तुस्थिति से एक पक्ष के भीतर सूचित किया जायेगा और अगली बैठक में भी यह सूचना पिछले कार्यवृत्त पर अनुपालन सम्बन्धी चर्चा के दौरान रखा जायेगा। सम्बन्धित विभाग/स्थानीय निकाय अपनी अवस्थापना एवं रख–रखाव सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाते समय, समिति की संस्तुतियों पर गम्भीरता से विचार करेगी।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features